

138

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर
कैम्प रीवा म0प्र0



रि 101-

R - 3299-11/14

श्री. जयलाल विरूद्ध श्री. एड के
मंसि आज दिनांक 02.09.14 के
प्रस्तुत किया गया।
क्रमांक 3066
रिजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

521
2-9-14

सरपरस्त पिता संजय पाण्डेय तनय श्री बाबूलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम बिलौंधा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।

निगराकार

बनाम

1. श्रीमती पदमा पुत्री शान्ती पाण्डेय पत्नी श्री बाबूलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम बिलौंधा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
2. शिवम तनय प्रकाश पयासी नावालिग बली सरपरस्त मौसी श्रीमती पदमा पत्नी श्री बाबूलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम बिलौंधा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
3. बेवा सुशीला पाण्डेय पत्नी श्री भारतीशरण पाण्डेय, निवासी बिलौंधा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0।
4. श्रीमती शान्ती पाण्डेय पत्नी श्री बाबूलाल पाण्डेय, निवासी ग्राम बिलौंधा, तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0(मृत)।

गैरनिगराकारगण

निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 26/ निगरानी/11-12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरुद्ध।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

विनम्र निवेदन है कि निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि गैरनिगराकार क्र. 1,
- 2 ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय के समक्ष निगराकार के खिलाफ श्रीमान जिला अपर कलेक्टर महोदय जिला


संजय पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.3299-II/14

जिला-सतना

विद्युत्प्रदत्त पाठ्य / तीमली पद्मा पाठ्य व अन्य

(1)	(2)	(3)
23.1.18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा एड० उपस्थित। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सहस्य</p>	

